न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—10 / 2020 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा—हनुमानगढ़ टाउन जरिये मुख्य प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कार्यालय नई धानमण्डी हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़।

———प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स शिव शक्ति एन्टरप्राईजेज दुकान नं. 82—ए नई धान मंडी हनुमानगढ़ टाउन हनुमानगढ़—335513।

———अप्रार्थी / ऋणी

2. श्री प्रदीप कुमार सिहाग पुत्र श्री ब्रिज लाल सिहाग दुकान नं. 82—ए नई धान मंडी हनुमानगढ़ टाउन हनुमानगढ़—335513।

———प्रोपराईटर

3. श्री शिव नारायण गोदारा पुत्र श्री ख्याली राम गोदारा मकान नं. आई—7, मिनी सेक्टेराईट, स्टेडियम बाईपास रोड़ हनुमानगढ़ जंक्शन, पिन 335513।

———जमानतदार / अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (जिसे आगे एक्ट से संबोधित किया गया है) की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणीयों / जमानतियों से बंधक सम्पति का भौतिक का कब्जा लेकर बैंक को दिलाये जाने के संबंध में।

Web Copy - Not Official

आदेश

दिनांकः—20.08.2020

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा हनुमानगढ़ टाउन की ओर से मुख्य प्रबन्धक शाखा नई धान मण्डी, हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ़ द्वारा इस आश्य का पेश किया गया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या—1 जो कि ऋणी है, अप्रार्थी संख्या—2 जो कि प्रोपराईटर है एवं अप्रार्थी संख्या—3 जो कि जमानतदार है, को कुल रूपये 60.00 लाख रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 02.02. 2017 को उपलब्ध करवाई थी। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण सुविधा के एवज में बंधक विलेख को निष्पादित कर अचल सम्पत्ति आवासीय मकान जो प्लॉट नं. आई—7, मिनी सेक्टेराईट स्टेडियम, बाईपास रोड़ हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान पर है, जिसकी साईज 49 X 89 वर्ग फीट है, जो कि श्री शिव नारायण गोदारा

पुत्र श्री ख्याली राम गोदारा के नाम से है जिसको साम्यिक रूप से बैंक के हक में बंधक किया था।

अप्रार्थीगण ने बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नहीं चुकाने के कारण बैंक द्वारा अप्रार्थीगण का ऋण खाता दिनांक 01.12.2019 को एनपीए कर दिया।

अप्रार्थीगण का ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ोदा द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 01.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। अप्रार्थीगण को उपरोक्त नोटिस के अनुसार नोटिस की दिनांक से 60 दिन के अन्दर बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि रूपये 62,84,957/–रूपये दिनांक 31.12.2019 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त का भुगतान करना था। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस के पश्चात भी ऋण मय ब्याज व खर्चे बैंक में जमा नही करवाये गये। इसलिए बैंक द्वारा बकाया ऋण की वसूली करने के लिए उक्त बन्धकित सम्पति का भौतिक कब्जा लेना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी बैंक को बन्धकित सम्पति का कब्जा लेने के लिये पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अनुसार उक्त वर्णित बन्धकित सम्पति से संबंधित दस्तावेजात का कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा को दिलवाने जाने हेतु पुलिस इमदाद के आदेश फरमाया जावे।

बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रस्तुत पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक ऑफ बडौदा को ऋण राशि का भुगतान समय पर करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत ऋणी व जमानतदार को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जाना पाया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण का भुगतान बैंक ऑफ बड़ौदा को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforoement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में बैंक ऑफ बडौदा के पास साम्यिक बन्धक आवासीय मकान जो प्लॉट नं. आई–7, मिनी सेक्टेराईट स्टेडियम, बाईपास रोड़ हनुमानगढ़ जंक्शनं, तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान पर है, जिसकी साईज 49 x 89 वर्ग फीट है, जो कि श्री शिव नारायण गोदारा पुत्र श्री ख्याली राम गोदारा के नाम से अभिलेख में दर्ज है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से बैंक ऑफ बडौदा को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतुं बैंक ऑफ बडौदा द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व बैंक ऑफ बडौदा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़